न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्या– 3/38/2023 दायर दिनांक 12/12/2023

जीसीएमएस न0 –2023/661 निर्णय दिनांक 22/12/2025

वउनवान

1. उदलसिंह पुत्र भोला जाति जाट निवासी रेटा तहसील कठूमर
2. लज्जा पत्नि भोला जाति जाट निवासी रेटा तहसील कठूमर जिला अलवर।

प्रार्थीयान

बनाम

1. बच्चूसिंह पुत्र होती जाति जाट निवासी रेटा (फौत)

    1/1. राजवीरसिंह पुत्र बच्चूसिंह जाति जाट निवासी रेटा

    1/2. यदुवीरसिंह पुत्र बच्चूसिंह जाति जाट निवासी रेटा

    1/3. गीता पत्नि बच्चूसिंह जाति जाट निवासी रेटा

    1/4. सीमा पुत्री बच्चूसिंह जाति जाट निवासी रेटा

2. समुन्दर पुत्र होती जाति जाट निवासी रेटा तहसील कठूमर जिला अलवर।

प्रार्थना– पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–श्री गिरधारीलाल शर्मा एडवोकेट–अधिवक्ता प्रार्थीयान
श्री रामजीलाल शर्मा एडवोकेट–अधिवक्ता अप्रार्थीगण 1 वारिसानों की ओर से
श्री नीरज अवस्थी एडवोकेट–अधिवक्ता अप्रार्थीगण 2

–::निर्णय::–

प्रार्थीयान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 413, ग्राम रेटा तहसील कठूमर में स्थित है। जो प्रार्थीयान की खातेदारी की आराजी है जिस पर प्रार्थीयान काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। आराजी खसरा नम्बर 413,विभाजन मे प्रार्थीयान के हक ब हिस्से में आई तथा खसरा नम्बर 403 व 408 अप्रार्थी बच्चूसिंह पुत्र होती सिंह के हक व हिस्से मे आई तथा खसरा नम्बर 414 समुन्दर पुत्र होती अप्रार्थी संख्या 2 के हक व हिस्सा में आई जिसका राजस्व रिकॉर्ड मे भी अमल दरामद हो चुका है वक्त बटवारा आराजी खसरा नम्बर 403, 408, 414, में होकर खसरा नम्बर 413 जो प्रार्थीयान का है। आराजी प्रार्थी को बुबाई एवं जुताई काश्तकारी कार्य करने के लिये आने जाने के लिये रास्ता मैन रोड से खसरा नम्बर 403 के मध्य डौल के सहारे सहारे व खसरा नम्बर 408 को मध्य डौल व खसरा नम्बर 414 कह तरफ उत्तर

उपखण्ड अधिकारी (अलवर) राज०

की डौल की तरफ सहारे सहारे करीब 20 फीट रास्ता छोडा गया तब से लेकर अब तक प्रार्थीगण मैन रोड से तरफ पूर्व पश्चिम डौल के सहारे सहारे छोडे गये रास्ते का उपयोग करते हुये खसरा नम्बर 413 तक पहुचते है इस रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के पास अन्य कोई रास्ता विकल्प क तौर पर नहीं है। यानि प्रार्थीगण के पास अन्य कोई रास्ता विकल्प के तौर पर नही है यानि प्रार्थीगण को उक्त रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है अगर रास्ता का अप्रार्थीगण द्वरा बन्द कर दिया जाता है तो प्रार्थीगण का खसरा नम्बर 413 की बुबाई जुताई काश्तकारी कार्य नहीं हो पायेगा प्रार्थी द्वारा प्रार्थन पत्र पेश कर आराजी खसरा नम्बर 413 के लिये आराजी खसरा नम्बर 403, 408 414 मैन रास्ते से पूर्व से पश्चिम तरफ उत्तर की डौल के सहारे सहारे मध्य में 30 फुट रास्ता होकर दिलाया जाने का एवं प्रार्थीयान के पास उक्त रास्ता के अलावा और कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है अतः प्रार्थीयान ने प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थीयान का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीयान को जरिये नोटिस तलव किया। अप्रार्थीयान संख्या 1 की ओर से उनके अधिवक्ता ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया एवं अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा इकबाल जवाब पेश किया गया। अप्रार्थीगण के वारिसानो की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया गया की प्रार्थी कभी भी अप्रार्थी के खसरा नम्बर 403 व 408, अपने खसरा नम्बर 413, में बुवाई जुताई काश्तकारी करने नहीं गया नाही अप्रार्थी के खसरा नम्बरान में सें प्रर्थी को अपने खसरा नम्बर में जाने हेतु कोई रास्ता कायम नहीं था और नाही वर्तमान में कोई रास्ता मौजूद है प्रर्थी ने नजरी नक्शा मौके के विपरीत बनाकर प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया है। प्रार्थी के लिये अपने खसरा नम्बर 413 में जाने हेतु खसरा नम्बर 422, 423, 416, 417, में होकर आता जाता रहा है। उक्त नम्बरान में से प्रर्थी के लिये नजदीक रास्ता है प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में खसरा नम्बर 404 व 409 के खातेदारो को अपने प्रार्थना पत्र पक्षकार नहीं बनाया है प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में सभी कथन मिथ्या दर्ज कराये है अप्रार्थी की खातेदारी के खेतो में जिसके कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया गया है।

की खांतेदारी की आराजी खसरा नम्बर 2363 व 2364 वाके ग्राम भैरूवास के सहारे सहारे ग्राम पंचायत द्वारा नरेगा योजना के अन्तर्गत प्रार्थीगण के मकान तक ग्रेवल सडक का निर्माण कई बर्ष पूर्व ही कराया जा चुका है जिस ग्रेवल सडक पर होकर ही प्रार्थीगण बलराम, सन्तोष अपनी आराजी खसरा नम्बर 2363, 2364 के लिये निर्विवाद सडक से आवागन करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने की नियत से मौजूदा प्रार्थना पत्र वद्‌यान्ति वश पेश किया है जबकि प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 2363, 2364 के लगता हुआ ग्राम पंचायत द्वारा कई वर्ष पूर्व नरेगा योजना के अन्तर्गत ग्रेवल सडक का निर्माण किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र 251 क आरटीएक्ट के प्रावधान इस प्रार्थना पत्र पर लागू नहीं होते है और ना ही नया रास्ता कायत कराया जा सकता है प्रार्थीगण द्वारा तथ्य छुपाकर पेश किया गया उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का

उपखण्ड अधिकारी
(अलवर)

निवेदन किया गया है। प्रार्थीयान ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में सत्यप्रतिलिपी जमाबन्दी हाल, नजरी नक्शा वाके ग्राम रेटा पेश किये है। एवं अप्रार्थी के द्वारा में नक्शा ट्रेस पेश किये गये जो शामिल पत्रावली है।

उक्त प्रार्थना पत्र 251 क के सम्बन्ध में तहसीलदार कठूमर से मौका की विस्तृत वस्तुस्थति की रिपोर्ट तलब की गयी। जिसकी पालना में तहसीलदार कठूमर ने हाजिर अदालत होकर अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 20.11.2025 को पेश की। तहसीलदार कठूमर ने अपनी जांच रिपोर्ट में आराजी खसरा नम्बर 413 गॉव रेटा के लिये खसरा नम्बर 414, 408, 403, वाके ग्राम रेटा में से होकर रास्ता मौके पर चालू नहीं है और आराजी खसरा नंम्बर 413 के लिये कोई भी पहुच मार्ग राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। प्रार्थी द्वारा आराजी खसरा नम्बर 413, के लिये रास्ता 414,403, 408 मे सें चाहा गया है 413 खसरा नम्बर की 414, 403, 408, खसरा नम्बरान की उत्तरी मेंड से होते हुये आगामी रास्ता खसरा नम्बर 510, गैर मु0रास्ता सिवायचक से दूरी 236 मीटर लगभग है एवं खसरा नम्बर 414 403, 408,खसरा नम्बर की दक्षिणि मेंड सहारे सहारे से खसरा नम्बर 413 की रास्ता खसरा नम्बर 510 से देरी 256 मीटर लगभग है। आराजी खसरा नम्बर 413 ग्राम रेटा से निकटतक दूरी पर स्थित रास्ता खसरा नम्बर 421/628 गैर मु0रास्ता सिवायचक सुररी वारे मन्दिर स दुदेरी को जाने वाला लगभग 132 मीटर पर दक्षिणि दिशा में स्थित है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में मुख्यरूप से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये आराजी प्रार्थी को बुबाई एवं जुताई काश्तकारी कार्य करने के लिये आने जाने के लिये रास्ता मैन रोड से खसरा नम्बर 403 के मध्य डौल के सहारे सहारे व खसरा नम्बर 408 को मध्य डौल व खसरा नम्बर 414 कह तरफ उत्तर की डौल की तरफ सहारे सहारे करीब 20 फीट रास्ता छोडा गया तब से लेकर अब तक प्रार्थीगण मैन रोड से तरफ पूर्व पश्चिम डौल के सहारे सहारे छोडे गये रास्ते का उपयोग करने हुये खसरा नम्बर 413 तक पहुचते है इस रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के पास अन्य कोई रास्ता विकल्प क तौर पर नहीं है। यानि प्रार्थीगण के पास अन्य कोई रास्ता विकल्प के तौर पर नही है यानि प्रार्थीगण को उक्त रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है अगर रास्ता का अप्रार्थीगण द्वारा बन्द कर दिया जाता है तो प्रार्थीगण का खसरा नम्बर 413 की बुबाई जुताई काश्तकारी कार्य नहीं हो पायेगा प्रार्थी द्वारा प्रार्थन पत्र पेश कर आराजी खसरा नम्बर 413 के लिये आराजी खसरा नम्बर 403, 408 414 मैन रास्ते से पूर्व से पश्चिम तरफ उत्तर की डौल के सहारे सहारे मध्य में 30 फुट रास्ता होकर दिलाया जाने का एवं प्रार्थीयान के पास उक्त रास्ता के अलावा और कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है अतः प्रार्थीयान ने प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। एवं अप्रार्थीण के अधिवक्ता द्वारा मुख्यरूप से अपने प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये अप्रार्थी के खसरा नम्बर 403 व 408, अपने खसरा नम्बर 413, में बुवाई जुताई काश्तकारी करने नहीं गया नाही अप्रार्थी के खसरा नम्बरान में सें

उपखण्ड अधिकारी
(अलवर) राज०

प्रार्थी को अपने खसरा नम्बर में जाने हेतु कोई रास्ता कायम नहीं था और नाही वर्तमान में कोई रास्ता मौजूद है प्रार्थी ने नजरी नक्शा मौके के विपरीत बनाकर प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया है। प्रार्थी के लिये अपने खसरा नम्बर 413 में जाने हेतु खसरा नम्बर 422, 423, 416, 417, में होकर आता जाता रहा है। उक्त नम्बरान में से प्रार्थी के लिये नजदीक रास्ता है प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में खसरा नम्बर 404 व 409 के खातेदारो को अपने प्रार्थना पत्र पक्षकार नहीं बनाया है प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में सभी कथन मिथ्या दर्ज कराये है अप्रार्थी की खातेदारी के खेतो में जिसके कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खरिज फरमाये जाने का निवेदन किया गया है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड जवाब अप्रार्थीगण व तहसीलदार कठूमर की मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीयान व अप्रार्थीयान की बहस पर मनन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 क मे मुताबिक तहसीलदार कठूमर की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 413 गॉव रेटा के लिये खसरा नम्बर 414, 408, 403, वाके ग्राम रेटा में से होकर रास्ता मौके पर चालू नहीं है और आराजी खसरा नम्बर 413 के लिये कोई भी पहुच मार्ग राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। प्रार्थी द्वारा आराजी खसरा नम्बर 413, के लिये रास्ता 414,403, 408 मे सें चाहा गया है 413 खसरा नम्बर की 414, 403, 408, खसरा नम्बरान की उत्तरी मेंड से होते हुये आगामी रास्ता खसरा नम्बर 510, गैर मु0रास्ता सिवायचक से दूरी 236 मीटर लगभग है एवं खसरा नम्बर 414 403, 408,खसरा नम्बर की दक्षिणि मेंड़ सहारे सहारे से खसरा नम्बर 413 की रास्ता खसरा नम्बर 510 से देरी 256 मीटर लगभग है। आराजी खसरा नम्बर 413 ग्राम रेटा से निकटतक दूरी पर स्थित रास्ता खसरा नम्बर 421/628 गैर मु0रास्ता सिवायचक सुररी वारे मन्दिर स दुदेरी को जाने वाला लगभग 132 मीटर पर दक्षिणि दिशा में स्थित है। रास्ता सडक तक कायम कराने के अधिकारी नहीं पाये जाते है जिस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

—::आदेश::—

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251 (क) राज0 काश्त0 अधिनियम 1955 को अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज0